न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः 101/2014

रज्जु दिनांकः 19/05/2014

निर्णय दिनांकः 25/05/2017

धन्ना लाल पुत्र स्व. ग्यारसा जाति बैरवा निवासी ग्राम भानपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।

.....वादी

बनाम

1. रतन लाल पुत्र स्व. ग्यारसा
2. मोहन लाल पुत्र स्व. ग्यारसा
   समस्त जातियान बैरवा निवासी भानपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
3. कमला देवी धर्मपन्ति लालाराम जाति बैरवा निवासी मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
5. उपपंजीयक माधोराजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।

——प्रतिवादीगण

वाद इस्तकरार हक व हुक्म ईम्तनाई दवामी

अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 टिनेन्सी एक्ट

उपस्थितः

श्री रमेश चन्द पारीक एडवोकेट

विद्वान अधिवक्ता वादीगण

निर्णय दिनांकः 25/05/2017

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद पत्र दावा इस्तकरार हक व हुक्म ईम्तनाई दवामी का आशय पेश किया कि मौजा भानपुरा पटवार क्षेत्र डिडावता भू0अभि0नि0 क्षेत्र माधोराजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर के साबिक खाता सं0 68 नये खाता संख्या 64 के आराजी खसरा नम्बर 17/341 रकबा 21 बीघा बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 53/340 रकबा 65 बीघा बारानी तृतीय कुल किता 2 कुल रकबा

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

86 बीघा जिसमें से 11 बीघा 2 बिस्वा भूमि में से वादी का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा हैं। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 अपने उपरोक्त हिस्सेनुसार मौके पर काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1 ने आराजी में अपने हिस्से 1/4 का जरिये रजिस्टर्ड हकत्याग दिनांक 30.06.2004 को वादी के पक्ष में कर दिया था। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी के पक्ष में किये गये रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र के आधार पर आराजी भूमि का नामान्तकरण सं0 540 दिनांक 06.07.2004 को तस्दीक कर दिया गया। जिसके बाद भूमि वर्णित मद नम्बर 1 वाद में वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार होकर काबिज काश्त चले आ रहे है। लेकिन दीगर सहकाश्तकारान द्वारा मान्य न्यायालय के समक्ष एक वाद संख्या 44/2002 बउनवानी काना बनाम धन्ना वगै0 के वाद में पारित आदेश दिनांक 26.11.2005 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 17/341 रकबा 21 बीघा खसरा नम्बर 53/340 रकबा 65 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 86 बीघा वाकै ग्राम भानपुरा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजी में से 81 बीघा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का 1/13 हिस्सा दर्ज करने आदेश गलत रूप से पारित हो गया। जिसके आधार पर वादी के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किये गये रजिस्टर्ड हकत्याग दिनांक 06.04.2004 के आधार पर सही रूप से भरा गया नामान्तकरण निष्फल हो गया जो गलत है। जबकि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 3 पूर्व में हकत्याग के आधार पर भरे गये नामान्तकरण के अनुसार वादी उपरोक्त वर्णित आराजी में से कुल रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा भूमि में से 1/2 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 2 1/4 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्से की भूमि पर कबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा कराते चले आ रहे है। उपरोक्त डिक्री दिनांक 26.11.2005 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 एक अनपढ एवं अशिक्षित कम पढे लिखे होने एवं अपने अधिवक्ता को उक्त रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 30.06.2004 की बाबत जानकारी नही देने पाने एवं अधिवक्ता उक्त हकत्याग पत्र के आधार पर भरे गये नामान्तकरण संख्या 580 दिनांक 06.07.2004 को सही प्रकार से नही देख पाने के कारण एवं न्यायालय के समक्ष उक्त तथ्य सहवन नही आने के कारण वादी के हितो को नुकसान पहूंचा है। वादी को उक्त तथ्यों की जानकारी अब तक नही हो सकी क्योकि वादी अपने आराजी पर रजिस्टर्ड हकत्याग के बाद आये हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है लेकिन अभी हाल ही में दिनांक 02.05.2014 को आराजी में अबुझ मुर्हत पर हलसोत करने गया तो

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

प्रतिवादी संख्या 1 मौके पर आया और वादी को धमकी दी कि आराजी भूमि में मेरा 1/4 हिस्सा डिक्री के अनुसार 1/52 हिस्सा है तथा राजस्व रिकार्ड में मेरे नाम दर्ज है जिसका में बेचान करूगां। जिसपर वादी ने हल्का पटवारी से जमाबन्दी प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जिसपर हल्का पटवारी ने दिनांक 13.05.2014 को जमाबन्दी की नकल प्रदान की जिससे अपने अधिवक्ता को अन्य कागजात सहित दिखाया तो वादी को उपरोक्त तथ्यों की जानकारी हुई। इस कारण वादी को यह वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 पेश करना लाजमी आया है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम उक्त आराजीयात 1/4 डिक्री के अनुसार 1/52 हिस्सा बावजूद किये जाने हकत्याग जरिये डिक्री दिनांक 26.11. 2005 दर्ज राजस्व रिकार्ड हो जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 की नियत में फितूर आ गया है जो अपने नाम गलत रूप से नाम लगी आराजीयात का बैचान करने की फिराक में है यदि प्रतिवादी संख्या 1 अपने उक्त नापाक ईरादे में सफल हो गया तो वादी को नातल्लाफी नुकसान उठाना पडेगा एवं व्यर्थ में मुकदमें बाजी बढेगी तथा खर्चे से जैरबार होना पडेगा। इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना परम आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 1 को कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नही है कि वो वादी के हिस्से 1/2 की आराजीयात जोकि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी के पक्ष में किये गये रजिस्टर्ड हकत्याग दिनांक 30.06.2004 के बाद गलत रूप से हुये दावा डिक्री दिनांक 26.11.2005 के आधार पर हिस्से 1/4 डिक्री के अनुसार 1/52 की भूमि नाम लगी होने का नाजायज फायदा उठाकर आराजी का दीगर व्यक्ति को बेचान कर वादी को आराजी से बेदखल करें जबकि वादी को यह हक व अधिकार प्राप्त है कि वो प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये न्यायालय पाबन्द करा दें। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का आराजी में हित निहित होने एवं प्रतिवादी संख्या 4 भूमि धारक होने एवं प्रतिवादी संख्या 5 के यहॉ आराजी का विक्रय पत्र पंजीबद्व होने की आशंका होने के कारण इन्हें मुकदमें हाजा में तरतीबी पक्षकार कायम किया गया है जिनके विरूद्व कोई अनुतोष नही चाहा है। वादी को वाद कारण दिनांक 02.05.2014 तब उत्पन्न हुआ जब वादी आराजी में अबुझ मुर्हत पर हलसोत करने गया तो प्रतिवादी संख्या 1 मौके पर आया और वादी को धमकी दी कि आराजी भूमि में मेरा 1/4 हिस्सा डिक्री के अनुसार 1/52 हिस्सा है तथा राजस्व रिकार्ड में मेरे नाम दर्ज है जिसका में बैचान करूगां। जिसपर वादी ने हल्का पटवारी से जमाबन्दी प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जिसपर हल्का पटवारी ने दिनांक 13.05.2014 को जमाबन्दी की नकल प्रदान की जिसे अपने अधिवक्ता को अन्य कागजात

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

सहित दिखाया तो वादी को उपरोक्त तथ्यों की जानकारी हुई। तब से वादी को वाद कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है जो उत्पन्न होने वादी कारण से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का वाद बाबत इस्तकरार हक इस अमर का डिक्री फरमाया जावें कि वादी आराजी मुतदाविया मुतजिकरा पैरा नम्बर 1 वाद में वर्णित आराजी रकबा 86 बीघा में से रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा भूमि 1/2 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 1/4 हिस्से, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार एवं काबिज है। प्रतिवादीगण को बजरिये हुक्म इम्तनाई दवामी पाबन्द फरमाया जावें कि वह वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का खलल न पहूंचाये और न उसको बेदखल करने का प्रयन्त करें, न आराजी को रहन, वेय, मुन्तकिल करें राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। वादी को आराजी का शान्ति पूर्वक उपयोग, उपभोग करने देवें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गयी। जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद तामील उपस्थित नही होने पर उसके विरूद्व दिनांक 12.05.2017 को एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित आयी। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की तलवी जारी की गयी। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से दिनांक 17.05.2017 को इकबालिया जवाब दावा व राजीनामा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने पेश किया। वादी के शिनाख्तगी श्री रमेश चन्द्र पारीक अधिवक्ता ने की। प्रतिवादी संख्या 1 की शिनाख्तगी श्री शिवनारायण देवन्दा अधिवक्ता ने की, राजीनामा पक्षकारान को पढकर सुनाया गया। पक्षकारान ने राजीनामा पढ, सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया। राजीनामा हस्व कायदा तस्दीक किया गया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। वादी की ओर से प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्व कोई अनुतोष नही चाहने एवं वाद से नाम हजफ करने का धारा 151 का प्रार्थना पत्र पेश किया। जो वाद बहस स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 का नाम वाद से हजफ किया गया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबन्दी संवत 2067 से 2070 किता 2 नामान्तकरण संख्या 567 दिनांक 12.09.2006, हक त्याग पत्र दिनांक 30. 06.2004, प्रमाणित प्रति आदेश एवं डिक्री दिनांक 26.11.2005, प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तकरण संख्या 504 दिनांक 06.07.2004 का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत कानूनी दृष्टान्त का अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

बहस व उपरोक्त प्रस्तुत दस्तावेजात व कानूनी दृष्टान्त के अवलोकन से वादी का वाद बरूये राजीनामा डिक्री किया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः वादी का वाद बरूये राजीनामा डिक्री किया जाता है कि साबिक खाता सं0 68 नये खाता संख्या 64 के आराजी खसरा नम्बर 17/341 रकबा 21 बीघा बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 53/340 रकबा 65 बीघा बारानी तृतीय कुल किता 2 कुल रकबा 86 बीघा भूमि वाके मौजा भानपुरा पटवार क्षेत्र डिडावता भू0अभि0नि0 क्षेत्र माधोराजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर स्थित भूमि में से 11 बीघा 2 बिस्वा भूमि में से वादी को 1/2 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 को 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25/05/2017 को फॉलो अप केम्प न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प फागी में मजमेआम सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी जयपुर

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय पदेन उपखण्ड अधिकारी फागी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/फॉलो अप केम्प कोर्ट फागी)

पीठासीन अधिकारी :–सावन कुमार चायल (आर ए एस)

उनवान

धन्ना बनाम रतन लाल वगै0

वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :– 101/2014

निर्णय

दिनांक :– 25.05.2017

वादी की ओर से स्वंय व प्रतिवादी पेरोकार सरकार उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 25.05.2017 को श्री सावन कुमार चायत (आर ए एस) पदेन उपखण्ड अधिकारी फागी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है ओर डिक्री दी जाती है कि–

अतः वादी का वाद वादग्रस्त बरूये राजीनामा डिक्री किया जाता है कि साबिक खाता सं0 68 नये खाता संख्या 64 के आराजी खसरा नम्बर 17/341 रकबा 21 बीघा बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 53/340 रकबा 65 बीघा बारानी तृतीय कुल किता 2 कुल रकबा 86 बीघा भूमि वाके मौजा भानपुरा पटवार क्षेत्र डिडावता भू0अभि0नि0 क्षेत्र माधोराजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर स्थित भूमि में से 11 बीघा 2 बिस्वा भूमि में से वादी को 1/2 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 को 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पालना तहसीलदार फागी को तहरीर जारी हो।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 25.05.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

(सावन कुमार चायल)
पाठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी फागी

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1. वादपत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	1. शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2. शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के स्टाम्प	
3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4. रूपयेपरप्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		5. आदेशिका की तामिल	
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

(सावन कुमार चायल)
पाठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी फागी